



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 409 राँची, शुक्रवार, 31 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
21 जून, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

27 फरवरी, 2024

संख्या-03/नि०सं०-09-24/2015 का. 1472--श्रीमती ज्योत्सना सिंह, झा०प्र०से (कोटि क्रमांक-733/03) के द्वारा LPA No. 467/2022 में दिनांक 29.03.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक 13.03.2020 के प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति एवं वित्तीय लाभ हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया है ।

2. LPA No. 467/2022 ज्योत्सना सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 29.03.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"12. Thus, the Letters Patent Appeal is allowed. The judgment passed by the learned single Judge dated 09.09.2022 in W.P.(S) No. 2005 of 2020 is hereby, set aside. The writ petition filed by the writ petitioner is allowed. Writ of certiorari is issued quashing the chargesheet, the enquiry report, the order passed by the appellate and revisional authority as well as the punishment awarded by the disciplinary authority. A writ of mandamus is issued to consider the consequential benefits of the writ petitioner including consideration of her case for promotion with retrospective effect.

13. There shall be no order as to costs.

14. Pending application, if any, stands disposed of.

15. The learned counsel for the appellant-writ petitioner shall file the requisites in Registry to communicate the order to the respondents.

16. Grant urgent certified copy of this order as per the Rules."

3. विभागीय संकल्प संख्या 6518 दिनांक 25.05.2017 द्वारा श्रीमती सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी। उक्त विभागीय कार्यवाही में विभागीय संकल्प संख्या 26125 (HRMS) दिनांक 15.10.2019 द्वारा श्रीमती सिंह को संचयात्मक प्रभाव से 3 (तीन) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया था ।

4. उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्रीमती सिंह द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसे विभागीय संकल्प संख्या 5451 (HRMS) दिनांक 19.05.2020 द्वारा अपीलीय प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत किया गया तथा उनके विरुद्ध अधिरोपित दण्ड को यथावत रखा गया ।

5. अपीलीय प्राधिकार द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किए जाने की कार्रवाई के विरुद्ध श्रीमती सिंह द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में याचिका WP(S) No 2005/2020 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 09.09.2022 को पारित न्यायादेश के द्वारा श्रीमती सिंह के याचिका को रद्ध करते हुए दण्ड को यथावत रखा गया ।

6. उक्त न्यायादेश के विरुद्ध श्रीमती सिंह ने माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में LPA No. 467/2022 दायर किया जिसमें दिनांक 29.03.2023 को पारित न्यायादेश द्वारा श्रीमती सिंह के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या 26125 (HRMS) दिनांक 15.10.2019 द्वारा पारित दण्ड को निरस्त कर दिया गया ।

7. LPA No. 467/2022 में दिनांक 29.03.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में कार्रवाई करते हुए विभागीय संकल्प संख्या 21762 (HRMS) दिनांक 21.06.2023 द्वारा श्रीमती सिंह के विरुद्ध निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 26125 (HRMS) दिनांक 15.10.2019 तथा अपील अभ्यावेदन की अस्वीकृति संबंधी संकल्प संख्या 5451 (HRMS) दिनांक 19.05.2020 को विलोपित करने का निर्णय लिया गया ।

8. श्रीमती ज्योत्सना सिंह, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-733/03) को पूर्व में प्रदत्त प्रोन्नति के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत है:-

(i) विभागीय अधिसूचना संख्या 4484 दिनांक 19.05.2015 के द्वारा श्रीमती सिंह को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है ।

- (ii) अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक 16.01.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्रीमती सिंह के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया :-

“विभागीय संकल्प संख्या 26125 (HRMS) दिनांक 15.10.2019 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से 3 (तीन) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड प्रभावी रहने के कारण प्रोन्नति के अयोग्य”

- (iii) तदोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 21762 (HRMS) दिनांक 21.06.2023 द्वारा श्रीमती सिंह के विरुद्ध निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 26125 (HRMS) दिनांक 15.10.2019 तथा अपील अभ्यावेदन की अस्वीकृति संबंधी संकल्प संख्या 5451 (HRMS) दिनांक 19.05.2020 को विलोपित किए जाने के पश्चात दिनांक 22.12.2023 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में किए गए अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 7214 दिनांक 26.12.2023 द्वारा श्रीमती सिंह को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है। यह प्रोन्नति श्रीमती सिंह को प्रोन्नत पद का प्रभार ग्रहण की तिथि से वित्तीय लाभ सहित दी गई है।

9. दिनांक 13.03.2020 के प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति एवं वित्तीय लाभ हेतु श्रीमती सिंह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में वस्तुस्थिति निम्नवत है:-

- (i) विभागीय संकल्प संख्या 3286 दिनांक 04.04.2014 द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु 5 वर्ष की कालावधि निर्धारित है।
- (ii) विभागीय संकल्प संख्या 10483 दिनांक 24.10.2014 की कंडिका-2 के अनुसार कालावधि में छूट उन मामलों में देय नहीं होगी जहाँ प्रोन्नति में विलम्ब के लिए संबंधित पदाधिकारी ही दोषी हो अथवा प्रोन्नति नहीं मिलने का मुख्य कारण विभागीय कार्यवाही या फौजदारी मुकदमों का विलम्ब रहना हो।

10. दिनांक 25.05.2017 से 15.10.2019 तक विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के कारण श्रीमती सिंह को विभागीय संकल्प संख्या 10483 दिनांक 24.10.2014 के आलोक में कालावधि में छूट का लाभ अनुमान्य नहीं है।

11. अतः श्रीमती सिंह संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु 5 वर्ष की कालावधि दिनांक 19.05.2020 को पूरा करती हैं।

12. दिनांक 19.05.2020 के पश्चात संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान 37400-67000/- ग्रेड पे 8700/-, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल - 13) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 28.11.2022 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

13. विभागीय प्रोन्नति समिति की उपरोक्त बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 7498 दिनांक 30.11.2022 द्वारा श्रीमती ज्योत्सना सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 733 /03, अनारक्षित कोटि) से कनीय पदाधिकारी श्री मनोज कुमार रंजन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 736ए / 03, अ०जा० कोटि) को विभागीय परिपत्र संख्या 3463 दिनांक 03.06.2022 के आलोक में अनारक्षित कोटि अंतर्गत संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है।

14. अनारक्षित कोटि में श्रीमती ज्योत्सना सिंह से कनीय श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता (कोटि क्रमांक- 756/03, अनारक्षित कोटि) को विभागीय अधिसूचना संख्या 7500 दिनांक 30.11.2022 द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है ।

15. उक्त अधिसूचना की कंडिका- II के द्वारा श्री मनोज कुमार रंजन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-736ए/03, अ०जा० कोटि) तथा श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता (कोटि क्रमांक-756/03, अनारक्षित कोटि) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम- 74 के आलोक में प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ पदस्थापित पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से दिया गया है ।

16. अतः वर्णित तथ्यों के सम्यक समीक्षोपरांत श्रीमती ज्योत्सना सिंह झा०प्र०से० को विभागीय अधिसूचना संख्या 7214 दिनांक 26.12.2023 द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रदत्त प्रोन्नति के स्थान पर उनसे कनीय श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता (कोटि क्रमांक- 756/03, अनारक्षित कोटि) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान 37400-67000/-ग्रेड पे 8700/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि दिनांक 30.11.2022 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान किया जाता है ।

17. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम- 74 के आलोक में श्रीमती ज्योत्सना सिंह झा०प्र०से० को प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ विभागीय अधिसूचना संख्या 7214 दिनांक 26.12.2023 के आलोक में संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
